आई.टी. एक्ट 2000, की धारा-4 के अनुसार प्रस्तुत आवेदन ई-मेल से व पंजीयन शुल्क मनीआर्डर से प्रेषित।

प्रति, (6 बिंदुओं का आदेश निम्न QR कोर्ड पर उपलब्ध है)

देवी त्रिवेणी देवांगन, लोक सूचना अधिकारी
कार्या. खनीज विभाग (कलेक्टर कोरिया) बैंकुठपुर, जिला कोरिया छ0ग0.

ईमेल-miningkorea@gmail.com द्वारा- व्हअप-9755974949

आवेदन पत्र अंर्तगत-सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

संलग्न-पंजीयन शुल्क emo no. 146037008487903010 राशि-10 रू0 के रसीद की मूलप्रति।

नोटः-(निम्न 6 बिंदुओं का नोट प्रस्तुत आवेदन का हिस्सा नही है किंतु इसे आपकी संज्ञान के लिए देना आवश्यक है।)

1. छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर छ0ग0 द्वारा दिनांक 25.02.2006 को एक अधिसूचना जारी कर सूचना का अधिकार पर आवेदन शुल्क मनीआर्डर के रूप में स्वीकार करने व दिनांक 26.09.2019 के अधिसूचना में मनीआर्डर के संबंध में निर्देश दिया गया।
2. उक्त अधिनियम की धारा-6(1) के अनुसार, मैं वांछित जानकारी इलैक्ट्रानिक युक्ति से चाहता हूँ व धारा-6(3)(अ) और (ब) के अनुसार प्रस्तुत आवेदन संबंधित विभाग को अंतरिम की जा है और यह अंतरण आवेदन प्राप्ती से 5 दिनों के भीतर कर इस अंतरण की एक प्रति मुझे देना होगा।
3. उक्त अधिनियम की धारा-7(8) के अनुसार प्रस्तुत आवेदन के जवाब में आप अपने प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम व पूर्ण पता प्रदान करेगें।
4. छ0ग0 शासन के आदेश क्र-3610/जी.1646 दि.-30.12.2011 व 44/जी.1646 दि.-09.01.2013 के अनुसार जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने जबाव/प्रदान की गयी जानकारी में अपना नाम अवश्य लिखें।
5. उक्त अधिनियम की धारा-8(1) के अंतिम पारा के अनुसार जो जानकारी संसद/विधान सभा को देने से इंकार नही किया जा सकता उससे आम जनता को भी इंकार नही किया जायेगा। इस कारण प्रस्तुत आवेदन का वांछित जानकारी मुझे देने से इंकार करने के पहले आप तय कर लें कि क्या इसे संसद/विधान सभा को नही दिया जा सकता।
6. निम्न वांछित जानकारी उक्त अधिनियम की धारा-4(1)ब तथा इस संबंध में मेरे ही जनहित याचिका WP(PIL) 35/2012 (Raj Kumar Mishra v/s Chief Information Commi. & Ors.) में माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-24.09.2012 के अनुसार आपके वेबसाइट में होना चाहिए।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् ....

....

की सत्यप्रति। पर्यावरण व कागज के बचत के लिए समस्त वांछित जानकारी मुझे निम्न ईमेल आई डी पर प्रदान की जाय।

उक्त प्रकार की समस्त जानकारी संदर्भित अधिनियम की धारा-4(1)ब तथा उक्त नोट की कंडिका 6 के अनुसार मेरे जनहित याचिका में आदेश के अंतर्गत आपके विभागीय वेबसाइट में होना चाहिए, इस आशय पर आप अपने वेबसाइट का पता/लिंक बताऐं जहां उक्त जानकारी अपलोड किया जा चुका है।

चिरमिरी
दिनांक-23/24.09.2020

आरटीआई विशेषज्ञ
राजकुमार मिश्रा
हल्दीबाड़ी, चिरमिरी, जिला-कोरिया छ0ग0
मो.नं.-7999393315, व्हाअप. 9406363699
ईमेल-rtichrm@gmail.com